तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
09/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अ०सं०1 से 4 अनुपस्थित। एक-एक कर तीन बार आवाज लगायी गई, अनुपस्थित है। अतः अ०सं०1 से 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अ०सं०5 का जवाब अवसर बन्द किया जाता है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्र०पत्र धारा 212 R.T.Act हेतु दिनांक 30/01/25 को पेश हो। [signature] 09/01/25
30/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रशासनिक व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक 03/02/2025 को पेश हो। [signature] 30.1.25
03/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप०। बहस प्रा०पत्र के परिपेक्ष्य में [illegible] रिकॉर्ड का अवलोकन किया [illegible] r.w. 03 R 132 cpc के प्रा० पत्र का [illegible] adjudicate करने के लिए प्रा० पत्र को निम्न 03 बिन्दुओं पर सुनना आवश्यक है : (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
आर्मी० प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम सामरिया की वादग्रस्त आराजी ख०न० 1106/374 रकबा 2.1119 hac प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 की सह-खातेदारी की दर्ज है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के हिस्से ½ पश्चिम दिशा मे और अप्रार्थी क्रम 01 पूर्व दिशा मे कब्जा काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी 1 ने अपनी हिस्से व कब्जे की भूमि मुनाफा काश्त पर अप्रार्थी क्रम 2 को दी गई। अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी को उसकी आराजी पर कृषि यंत्र लाने-ले-जाने और आने जाने से रोक रहा है और लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा है। शामलाती भूमि मे सभी सहखातेदारो का समान हक व हिस्सा निहित होता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है।	
2. आर्मी० प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सामरिया की वादग्रस्त आराजी ख० न० 1106/374 की जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 हिस्सा ½-½ की recorded co-tenants है। प्रार्थी द्वारा सशपथ कथन किया है कि वह पश्चिम भाग एवं अप्रार्थी क्रम 1 पूर्वी भाग पर काबिज है लेकिन अभी तक राजस्व रिकार्ड मे बंटवारा नहीं हुआ है। शामलाती भूमि मे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर एक समान हक व अधिकार निहित होता है। अप्रार्थी क्रम 2 केवल मुनाफे काश्त पर खेती करने वाले contractor के अतिरिक्त कोई right and interest नहीं रखता है। अप्रार्थी 2 को प्रार्थी को आने-जाने से रोकने का अधिकार नहीं है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।	
(ब) सुविधा का सन्तुलन :- ग्राम [illegible] की वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदी [illegible] अनुसार ख० न० 1106/374 रकबा 2.1119 hac [illegible] प्रार्थी [illegible] की शामलाती खाते हिस्से ½-½ मे दर्ज [illegible] काई है। सशपथ बयानो अनुसार पारिवारिक बटवारे मे वादग्रस्त भूमि के पश्चिमी भाग पर प्रार्थी एवं पूर्वी भाग पर अप्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड मे अभी तक बटवारा नही हुआ है। यह well settled legal position है कि शामलाती कृषि आराजी मे प्रत्येक Co-tenant को प्रत्येक भाग पर एकसमान हक व अधिकार होता है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 को शामलाती भूमि के किसी भाग से ~~अन्य~~ विशेषतः मेड के सहारे से, जिससे फसल का नुकसान नही है या न्यूनतम है, निकलने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नही है। पांतीदार / बंटाईदार अप्रार्थी क्रम 2 को भी रोकने का कोई भी हक व अधिकार नही है। अतः प्रकरण ~~प्रथम प्रतिकूल का~~ दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

(ब) <u>सुविधा का संतुलन</u> :-

यह well settled legal position है कि शामलाती कृषि आराजी मे सभी सहखातेदारो का प्रत्येक भाग पर समान हक व अधिकार होता है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने व कृषि उपकरण लाने-ले-जाने हेतु रास्ते (स्थाई / अस्थाई) की आवश्यकता होती है अन्यथा जोत के पड़त रहने और परिवार के लिये भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रार्थी को मेड सहारे से कृषि कार्य हेतु आने-जाने से रोकने पर प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थी की तुलना मे प्रार्थी को अधिक सुविधा होगी अतः प्रकरण मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

(स) <u>अपूरणीय क्षति</u> :- [illegible] प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा [illegible] प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी [illegible] का कथन [illegible] कि प्रार्थी को उसकी ही शामलाती भूमि ख०न० 1106/374 पर मेड के सहारे से

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट [illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	भी आने जाने से रोक दिया है और लड़ाई झगड़ा पर आमदा है जिससे प्रार्थी का खेत पड़त रहने से अपूरणीय क्षति कारित हो रही है क्योंकि प्रार्थी एक गरीब किसान है और खेती पर ही निर्भर है। अत: प्रकरण में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना जाहिर होता है। 3. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O 39 R 1&2 CPC स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख० न० 1106/374 की मेड के सहारे से प्रार्थी को अपने खेत (मौके अनुसार तय पश्चिमी भाग) पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने से स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कोई रोक या व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। प्रार्थी भी अपने हिस्से की मेड सहारे से, यदि अप्रार्थी क्रम 1 आये-जाये तो रोके नहीं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) 03/2/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.) (मुहर: न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिड़ावा (राज.))	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner